न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/2842/2003/भरतपुर

1. मोहरसिंह
2. राजेन्द्र
3. थानसिंह
4. मु0 माया देवी बैवा सुक्खी
5. प्रयागदेई पुत्री सुक्खी
6. मनोज पुत्र सुक्खी नाबालिग जरिए माता मु0 मायादेवी बैवा सुक्खी।
7. मु0 विमला बैवा रामस्वरूप।

– समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीताहेरी तहसील नदबई

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामखिलाड़ी
2. जलसिंह
3. राजस्थान सरकार
4. सब रजिस्ट्रार नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रत्यर्थीगण

(2) प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/2843/2003/भरतपुर

1. मोहरसिंह
2. राजेन्द्र
3. थानसिंह
4. मु0 माया देवी बैवा सुक्खी
5. प्रयागदेई पुत्री सुक्खी
6. मनोज पुत्र सुक्खी नाबालिग जरिए माता म0 माया देवी बैवा सुक्खी
7. मु0 विमला बैवा रामस्वरूप
8. सोहनलाल पुत्र मोहरसिंह

– समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीताहेरी तहसील नदबई जिला भरतपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामखिलाड़ी पुत्र प्यारेलाल

2. जलसिंह पुत्र प्यारेलाल
–समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीताहेरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रत्यर्थीगण

(3) प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/2457/2003/भरतपुर

1. रामखिलाड़ी पुत्र प्यारेलाल
2. जलसिंह पुत्र प्यारेलाल
–समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीताहेरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

–वादीगण

बनाम

1. मोहरसिंह
2. सुक्खी पुत्र बुदी
2/1 मनोहर पुत्र सुखी नाबा
2/2 मायादेवी विधवा सुक्खी
2/3 प्रयोदई पुत्री सुक्खी
–समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीताहेरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राजेन्द्र पुत्री बूदी
4. बिमला विधवा रामस्वरूप
5. धानसिंह पुत्री बूदी
6. राजस्थान सरकार
7. सब रजिस्ट्रार नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रतिवादीगण

(4) प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/2458/2003/भरतपुर

1. रामखिलाड़ी पुत्र प्यारेलाल
2. जलसिंह पुत्र प्यारेलाल
–समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीताहेरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

–वादीगण

बनाम

1. मनोहरसिंह
2. सुक्खी पुत्र बुदी
   2/1 मनोहर पुत्र सुखी नाबा
   2/2 मायादेवी विधवा सुक्खी
   2/3 प्रयोदई पुत्री सुक्खी
   –समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीताहेरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राजेन्द्र पुत्र बुदी
4. सोहनलाल पुत्र मोहनसिंह
5. धानसिंह पुत्र बुदी
   –समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीताहेरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित –
(प्रकरण संख्या : 2842/2003, 2843/2003)
श्री सोहनपाल सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण
(प्रकरण संख्या : 2457/2003, 2458/2003)
श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री सोहनपाल सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 27–09–2022

यह चारों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 23/2000, 24/2000, 12/2000 एवं 32/2000 में पारित एक ही निर्णय दिनांक 19–04–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. चारों प्रकरणों के तथ्य, विवाद बिन्दु समान होने एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा चारों अपीलों में पारित एकजाई निर्णय एवं डिक्री

के विरूद्ध प्रस्तुत होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई जिला भरतपुर के समक्ष वादीगण/अपीलार्थीगण मोहरसिंह वगैरहा ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के तहत वाद पत्र की चरण संख्या 2 में उल्लेखित विवादित आराजियात की संबंध में प्रतिवादीगण रामखिलाड़ी वगैरहा के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का विचारण न्यायालय ने वाद संख्या 134/1995 बनउनवान मोहरसिंह वगैराह बनाम रामखिलाड़ी वगैरहा संस्थित किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाबदावा पेश कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर वादीगण के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। इसी प्रकार वादीगण रामखिलाड़ी वगैराह ने एक अन्य वाद अर्न्तगत धारा 188 बाबत वाद पत्र की चरण संख्या 2 में उल्लेखित आराजियात के क्रम में मोहरसिंह वगैरहा के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का विचारण न्यायालय ने वाद संख्या 137/1995 बनउनवान मोहरसिंह वगैराह बनाम रामखिलाड़ी वगैरहा संस्थित किया। उक्त वाद का प्रतिवाद संख्या 1 लगायत 5 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वादीगण के वाद को खारिज करने का निवेदन किया है। दोनों मामलों में प्रतिवादी राज्य सरकार ने अपना जवाब दावा पेश कर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दावों में कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने वाद संख्या 134/1995 व 137/1995 को एकजाई करते हुए दोनों वादों का विचारण प्रारम्भ किया। उक्त दोनों दावों एवं जवाबदावे व उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद में 8 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक रूप से विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 21–02–2000 पारित करते हुए वाद संख्या 134/1995 एवं 137/1995 को आंशिक स्वीकार किया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी रामखिलाड़ी वगैरहा ने अपील संख्या 12/2000 व 32/2000 व मोहरसिंह वगैरहा ने अपील संख्या

23/2000 व 24/2000 प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील पेश की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त चारों अपीलों को एकजाई करते हुए विचारण प्रारम्भ किया तथा आलोच्य अपीलों में विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयों को पृथक–पृथक विवेचित करते हुए तथा उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर उभयपक्ष की बहस सुनकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–04–2003 पारित करते हुए आलोच्य चारों अपीलों को खारिज करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण मोहरसिंह वगैरहा द्वारा द्वितीय अपील संख्या 2842/2003, 2843/2003 व अपीलार्थीगण रामखिलाड़ी वगैरहा द्वारा अपील संख्या 2457/2003, 2458/2003 मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5. अपील संख्या 2842/2003 व 2843/2003 बाबत अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय व डिक्री को त्रुटिपूर्ण होना बताया है। उनका कथन है कि वाद पत्र में उल्लेखित विवादित आराजियात मोहरसिंह एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी व कब्जेकाश्त की खातेदार की भूमि चली आ रही है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार तिरखा जाट था जो की पक्षकारान का बाबा था तथा उनके देहान्त के बाद प्रश्नगत आराजी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1/2–1/2 हिस्से के काश्तकार हो जाते हैं। उक्त स्थिति में यह विदित होता है कि विवादित आराजी पक्षकारान की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वादीगण सहखातेदार के विरूद्ध नियमों के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि खसरा संख्या 138, 156, 175, 176, 177 बाबत रामखिलाड़ी

द्वारा दायर वाद को तो खारिज कर दिया परन्तु गैर कानुनी तरीके से हाल खसरा संख्या 137, 186 व 187 बाबत अपीलार्थी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा कर दी जबकि आराजी पुश्तैनी एवं एक ही खाते की भूमि है। उनका तर्क है कि राजस्व रिकार्ड सवंत 2010 लगाये 2013 की जमाबंदी में अपीलार्थी के पिता का नाम मौरूसी के रूप में अंकन है। इस कारण अपीलार्थी खातेदार काश्तकार हो जाते है। उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में तनकी संख्या 4 में न्यायालय ने यह माना है कि विवादित आराजी सहखातेदार की भूमि है। इस कारण ऐसी भूमि का बिना विभाजन किए एक सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत दोनों द्वितीय अपीलों को मय खर्चे के स्वीकार कर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर द्वारा अपील सं0 23/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-04-2003 एवं न्यायालय सहायक जिला कलक्टर नदबई द्वारा वाद सं0 137/1995 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21-02-2000 को वादग्रस्त भूमि हाल खसरा संख्या 137, 186 व 187 वाकै ग्राम चीताहेरी काशी तहसील नदबई बाबत अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री को निरस्त की जावे एवं वाद पत्र सं0 137/1995 उनवानी रामखिलाड़ी बनाम मोहरसिंह को खारिज किए जाने निवेदन किया।

6. इसके विपरीत विपक्षीगण के अधिवक्ता का कथन है कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में उनके दावे को आंशिक स्वीकार कर खसरा संख्या 138, 156, 175, 176, 177 पर वादी को आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया है। परन्तु शेष खसरा संख्या 137, 186, 187 के क्रम में खारिज किया है। उनका कहना है कि आराजी पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें उनके पिता के स्थान पर उनका आधा हिस्सा है। यहीं नहीं नामान्तरकरण की कार्यवाही में रामखिलाडी का आधा हिस्सा दर्ज है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थायी निषेधाज्ञा का दावा डिक्री किया

जो कि उचित नहीं है। क्योंकि डिक्री में अंकित खसरा संख्या 137, 186 व 187 पर रामखिलाडी वगैरहा का आधा हिस्सा है। उक्त तीनों खसरा नम्बरान बाबत हमारे बाबा को शिकमी के रूप में गलत दर्ज किया गया है। उनका तर्क है कि शिकमी के अंकन का नियमानुसार अन्तरण नहीं किया जा सकता। इस बाबत उन्होंने 1989 आरआरडी 366 का उद्धरण का सन्दर्भ लिया है। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राजातों को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपीलों को खारिज करने का निवेदन किया।

7. अपील संख्या 2457/2003 व 2458/2003 में अपीलार्थीगण ने बहस में बताया कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में उनके दावे को आंशिक स्वीकार कर खसरा संख्या 138, 156, 175, 176, 177 पर वादी को आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया है। परन्तु शेष खसरा संख्या 137, 186, 187 के क्रम में खारिज किया है। उनका कहना है कि आराजी पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें उनके पिता के स्थान पर उनका आधा हिस्सा है। यहीं नहीं नामान्तरकरण की कार्यवाही में रामखिलाडी का आधा हिस्सा दर्ज है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थायी निषेधाज्ञा का दावा डिक्री किया जो कि उचित नहीं है। क्योंकि डिक्री में अंकित खसरा संख्या 137, 186 व 187 पर रामखिलाडी वगैरहा का आधा हिस्सा है। उक्त तीनों खसरा नम्बरान बाबत हमारे बाबा को शिकमी के रूप में गलत दर्ज किया गया है। उनका तर्क है कि शिकमी के अंकन का नियमानुसार अन्तरण नहीं किया जा सकता। इस बाबत उन्होंने 1989 आरआरडी 366 का उद्धरण का सन्दर्भ लिया है। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राजातों को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को खारिज करने का निवेदन किया।

8. इसके विपरीत विपक्षीगण के अधिवक्ता ने बहस में कहा कि वाद पत्र में उल्लेखित विवादित आराजियात मोहरसिंह एवं प्रतिवादीगण की

पुश्तैनी व कब्जेकाश्त की खातेदार की भूमि चली आ रही है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार तिरखा जाट था जो कि पक्षकारान का बाबा था तथा उनके देहान्त के बाद प्रश्नगत आराजी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1/2–1/2 हिस्से के काश्तकार हो जाते हैं। उक्त स्थिति में यह विदित होता है कि विवादित आराजी पक्षकारान की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त स्थिति के परिपेक्ष्य में सहखातेदार वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि खसरा संख्या 138, 156, 175, 176, 177 बाबत रामखिलाड़ी द्वारा दायर वाद को तो खारिज कर दिया परन्तु गैर कानूनी तरीके से हाल खसरा संख्या 137, 186 व 187 बाबत अपीलार्थी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा कर दी, जबकि आराजी पुश्तैनी एवं एक ही खाते की भूमि है। उनका तर्क है कि राजस्व रिकार्ड सवंत 2010 लगाये 2013 की जमाबंदी में अपीलार्थी के पिता का नाम मौरूसी के रूप में अंकन है। इस कारण अपीलार्थी खातेदार काश्तकार हो जाते है। उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में तनकी संख्या 4 में न्यायालय ने यह माना है कि विवादित आराजी सहखातेदार की भूमि है। इस कारण ऐसी भूमि का बिना विभाजन किए एक सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत दोनों द्वितीय अपीलों को मय खर्चे के स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय भरतपुर द्वारा अपील सं0 23/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–04–2003 एवं न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा वाद सं0 137/1995 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–02–2000 को वादग्रस्त भूमि हाल खसरा संख्या 137, 186 व 187 वाकै ग्राम चीताहेरी काशी तहसील नदबई बाबत अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री को

निरस्त की जावे एवं वाद पत्र सं0 137/1995 उनवानी रामखिलाड़ी बनाम मोहरसिंह को खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

9. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया।

10. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर नदबाई के समक्ष मोहर सिंह वगैरहा ने वाद पत्र की चरण संख्या 2 में उल्लेखित विवादित आराजियात के संबंध में एक वाद के अन्तर्गत अधिनियम की 88, 89, 188 प्रतिवादीगण रामखिलाड़ी वगैरहा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वादीगण के वाद को खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद को 134/1995 बउनवान मोहरसिंह वगैरहा बनाम रामखिलाड़ी वगैरहा संस्थित किया। इसी प्रकार वादीगण रामखिलाड़ी वगैरहा ने एक अन्य वाद अर्न्तगत अधिनियम की धारा 188 के तहत वाद की चरण संख्या 2 में उल्लेखित विवादित आराजियात के संबंध में प्रतिवादीगण मोहरसिंह वगैरहा के विरूद्ध पेश किया है। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वादीगण के वाद को खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद को 137/1995 बउनवान रामखिलाड़ी वगैरहा बनाम मोहरसिंह वगैरहा संस्थित किया। विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों दावे व जवाबदावे के आधार पर 8 तनकीयात कायम करते हुए वाद का विचारण प्रारम्भ किया। विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को एकजाई करते हुए उपलब्ध रिकार्ड दावे व जवाबदावे के आधार पर कायम की गई समस्त तनकीयात को पृथक–पृथक रूप से विरचित करते हुए वादीगण मोहरसिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद संख्या 134/1995 व रामखिलाडी द्वारा दायर किए गए वाद संख्या 137/1995 में एक ही आज्ञा दिनांक

21–02–2000 से वादीगण मोहरसिंह वगैरहा के वाद को आंशिक स्वीकार किया व इसी प्रकार वादीगण रामखिलाडी वगैरहा द्वारा दायर वाद संख्या 137/1995 को आंशिक स्वीकार किया। उक्त दोनों निर्णय व डिक्री के विरूद्ध मोहरसिंह व रामखिलाड़ी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील संख्या 23/2000, 24/2000, 12/2000, 32/2000 पेश किए जाने पर न्यायालय ने एक ही आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–04–2003 द्वारा आलोच्य चारों अपीलों को खारिज कर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा।

11. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत 2010 से 2013 वाद–पत्र के साथ में संलग्न है। इससे जाहिर होता है कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की आराजी है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी के क्रम में नामान्तकरण संख्या 25 जो कि दिनांक 08–02–1963 में पंचायत द्वारा स्वीकृत किया है जिसमें तिरखा को खातेदार अंकित किया गया है। जमाबंदी संवत 2018–2021 में विवादित खसरा नम्बर 66, 76, 86, 87 बुद्धी की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा संख्या 65 का तिरखा बतौर शिकमी दर्ज का नीचे अंकन है। फलस्वरूप तिरखा के देहान्त के बाद खसरा नम्बर 65 रकबा 2 बीघा भूमि पर ही वादी व प्रतिवादी को बहिस्सा प्राप्त होता है और खसरा नम्बर 66, 76, 86, 87 से बने हाल खसरा संख्या 138, 165, 175, 176, 177 पर बुद्धि के वारिसान का ही हक साबित होता है। चौसाला वर्ष 2014 से 2017 की जमाबंदी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 में अंकित रकबा व नामान्तरकरण संख्या 25 जो कि दिनांक 08–02–1963 को स्वीकृत हुआ है, उसमें अंकित भूमि का रकबा मेल नहीं खाने से तथा शेष रकबे के बारे में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव के कारण मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री उचित प्रतीत नहीं होते है। तदनुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील में तथ्य एवं विधि का बिन्दु निहित होने के कारण इसे आंशिक स्वीकार कर मामले में

दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण में शेष अभिलेख प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना समीचीन है।

12. परिणामतः प्रस्तुत चारों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मामले में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–04–2003 एवं सहायक जिला कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–02–2000 को खारिज किया जाता है। इसके साथ ही प्रकरण सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नदबई को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि न्यायालय ऊपर की गयी व्याख्या के क्रम में प्रश्नगत आराजी के क्रम में वांछित शेष अभिलेख प्राप्त कर उनका विधिक परीक्षण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य